भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4607
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महिलाओं के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना

†4607. श्री अ. मनिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तमिलनाडु सहित देश के शहरी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में गर्भवती महिलाओं को तत्काल चिकित्सा देखभाल और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार के लिए चिह्नित किए गए महिलाओं के अस्पतालों की संख्या, आवंटित की गई निधि और उक्त योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन अस्पतालों में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, जहां मरीजों की संख्या अधिक है और महिला मरीजों के लिए न्याय और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा स्टाफ, आवश्यक दवाइयां और मातृ देखभाल सेवाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। हालांकि, अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता की कमी को दूर करने तथा शहरी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों सहित पूरे देश में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत भारत सरकार ने तमिलनाडु के शहरी क्षेत्र और आकांक्षी जिलों सहित देश भर में महिला अस्पताल सहित मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के परिसर में एक समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना का प्रावधान किया है। ये स्वीकृतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित हैं, बशर्ते कि मौजूदा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में बेंचमार्क बेड ऑक्यूपेंसी रेट (बीओआर) 70% हो। वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 92 एमसीएच विंग की स्थापना/निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई, जिसके लिए 491.24 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। यह पिछले वर्षों में अनुमोदित चल रहे कार्यों और वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमोदित नए कार्यों की सहायता के लिए अनुमोदित है।

आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, 20,000 से 30,000 की आबादी को कवर करने के लिए 6 इनडोर/ऑब्जर्वेशन बेड वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 80,000-1,20,000 की आबादी को कवर करने के लिए 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 1,00,000-5,00,000 की आबादी को कवर करने के लिए 31-100 बेड वाले उप-जिला अस्पताल और 30,00,000 तक की आबादी को कवर करने के लिए 101-500 बेड वाले जिला अस्पताल स्थापित किए जाने हैं।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 रिपोर्ट, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित होती है, में बताया गया है कि 31.03.2023 तक भारत में पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 8,18,661 बिस्तर हैं।

तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्ध बिस्तरों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम): इस योजना के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटकों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में 100 और 50 बिस्तरों वाले 395 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना के लिए 11614.71 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत, 12 एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

ईसीआरपी-II: "भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-II" (ईसीआरपी-II) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की राशि का सहयोग प्रदान किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान बिस्तरों की उपलब्धता करने के लिए ईसीआरपी-II के तहत, मेडिकल कॉलेजों सहित सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित स्वीकृतियाँ दी गईं। इनके विवरण इस प्रकार हैं:

मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और उप-मंडल अस्पतालों में 9,873 बाल चिकित्सा आईसीयू बेड, 7,008 बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) बेड, 20,953 वयस्क आईसीयू बेड सहित कुल 37,834 आईसीयू बेड हैं।

मौजूदा सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त 124,859 बिस्तर (6-20 बिस्तर वाली इकाइयां); 19,337 ऑक्सीजन समर्थित बाल चिकित्सा बिस्तर; 20,102 बिस्तरों के साथ फील्ड अस्पताल (50-100 बिस्तर वाली इकाइयां)।

पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 26 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) (50 बिस्तरों वाले)।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी)/ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करके मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन का प्रावधान है। अब तक इस योजना के तहत 75 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत देश में कुल **157 मेडिकल कॉलेजों** को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक

भारत में पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच और मेडिकल कॉलेजों में बिस्तरों की संख्या (ग्रामीण + शहरी)
(हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया **2022-23** के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएचसी	सीएचसी	उप जिला/ उप मंडल अस्पताल	जिला अस्पताल	मेडिकल कॉलेज
1	आंध्र प्रदेश	8712	6400	5400	2600	12583
2	अरुणाचल प्रदेश	397	594	लागू नहीं	1151	350
3	असम	3166	6218	844	3677	9343
4	बिहार	5596	8039	2459	4575	7251
5	छत्तीसगढ़	5015	6726	629	3542	4458
6	गोवा	183	210	253	600	1342
7	गुजरात	9422	11167	4492	3257	17899
8	हरियाणा	2183	3079	1581	3647	3660
9	हिमाचल प्रदेश	1005	969	3665	1924	2632
10	झारखंड	1229	3647	534	3215	2900
11	कर्नाटक	15112	6500	14530	6174	13712
12	केरल	5727	6371	8347	15113	7175
13	मध्य प्रदेश	8640	10590	9721	16650	5850
14	महाराष्ट्र	18276	15004	7903	4108	16998
15	मणिपुर	420	365	10	551	1449
16	मेघालय	1127	867	40	1960	594
17	मिजोरम	655	240	70	903	500
18	नागालैंड	706	325	लागू नहीं	1017	लागू नहीं
19	ओडिशा	1501	6290	1946	7288	9291
20	पंजाब	1688	3711	2509	3931	3160
21	राजस्थान	13866	23820	2500	9474	17131
22	सिक्किम	257	28	लागू नहीं	400	लागू नहीं
23	तमिलनाडु	10025	12582	21978	7695	29888
24	तेलंगाना	4662	3320	5400	2270	5960
25	त्रिपुरा	918	630	900	1260	727
26	उत्तराखंड	2111	1699	2035	1511	1850

27	उत्तर प्रदेश	13548	26157	लागू नहीं	22812	14726
28	पश्चिम बंगाल	7640	11205	13110	7599	25086
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	230	210	लागू नहीं	220	700
30	चंडीगढ़	23	120	100	527	3096
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	177	132	100	240	589
32	दिल्ली	12	लागू नहीं	431	9789	12060
33	जम्मू एवं कश्मीर	3955	2769	लागू नहीं	1862	5420
34	लद्दाख	320	190	लागू नहीं	370	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	40	90	70	50	लागू नहीं
36	पुदुचेरी	185	120	लागू नहीं	1853	2794
	अखिल भारत/कुल	**148729**	**180384**	**111557**	**153815**	**224176**

*****